

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर
क्रमांक : प.1(क)(268)/आर.एम.एस./डीएलबी/93/ 5728 दिनांक : 7-4-16
आदेश

राजस्थान नगर पालिका सेवा नियम, 1963 के नियम 28 एवं कार्मिक विभाग के आदेश संख्या प.7(3)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 11.09.11 एवं अ.शा.टीप सं. 4(1)कार्मिक/ क-2/अ.प्र. /2008 दिनांक 12.09.12 की पालना में सहायक अग्नि शमन अधिकारी पद की अस्थाई वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.16 की स्थिति को दर्शाते हुए निम्नानुसार जारी की जाती है। इस संबंध में किसी अधिकारी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो वह इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी लिखित आपत्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्र. सं.	नाम अधिकारी	जन्म तिथि	नियुक्ति दिनांक	स्थाईकरण दिनांक	योग्यता	
					शैक्षणिक योग्यता	तकनीकी योग्यता
01.	श्री मनोहर लाल हाडा, न. प. किशनगढ़ (अजमेर)	12.07.56	28.09.96	28.09.06	मैट्रिक उत्तीर्ण	-
02.	श्री मुकेश कुमार शर्मा, न.प. धौलपुर	30.10.64	20.03.12	20.03.13	बी. ए.	फायर फाईटिंग कोर्स, बेसिक रेस्क्यू ऑफ इण्डिया वाटर मैनशिप, सिविल डिफेन्स ट्रेनिंग, बेसिक फायर फाईटिंग कोर्स, कम्प्यूटेशन सेवा स्पेशलि वर्ग कोर्स
03.	श्री राकेश व्यास	05.05.78	27.09.12	27.09.14	बी. बी. ए.	राष्ट्रीय अग्नि शमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर से उप-अधिकारी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण

(पुरुषोत्तम बियाणी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक : प.1(क)(268)/आर.एम.एस./डीएलबी/93/ 5729-5927 दिनांक : 7-4-16
प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
04. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशायी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त को भेजकर लेख है कि आपकी नगर निकाय में यदि कोई स्थाई सहायक अग्नि शमन अधिकारी कार्यरत है एवं उपरोक्त सूची में उसका नाम नहीं है, तो कृपया उक्त कार्मिक की निर्धारित प्रपत्र में सूचना तैयार कर सहायक अग्नि शमन अधिकारी के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति एवं स्थाईकरण के आदेश की प्रति के साथ शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता संबंधी दस्तावेजों व सेवापुस्तिका की प्रमाणित फोटो प्रति अविलम्ब भिजवावें, ताकि प्राप्त दस्तावेजों के परीक्षणोपरान्त उक्त कार्मिक का नाम जारी की जाने वाली वरिष्ठता सूची में अंकित किया जा सके।
05. श्रीसहायक अग्नि शमन अधिकारी, नगर निगम/परिषद.....।
06. निजी/सुरक्षित पत्रावली।

(संचिता बिश्नोई)
अतिरिक्त निदेशक